Dr. Akhlakh Ahmad.

प्रश्न - रूसो के सामाजिक संविदा सिद्धान्त का विवेचन कीजिए ।

उत्तर :- उदारवादी परंपरा में राज्य की उत्पत्ति तथा प्रकृति के दो सिद्धान्त प्रचलित हैं- सामाजिक समझौता सिद्धान्त तथा विकासवादी सिद्धान्त। ऐतिहासिक दृष्टि से पहला सिद्धान्त तबतक स्वीकृत रहा जब तक राज्य के विकास के सम्बंध में वैज्ञानिक धारणाएँ स्थापित नहीं हुई थी। सामाजिक समझौते के सिद्धान्त को काल्पनिक सिद्धान्त माना जाता है। सामाजिक समझौते का सिद्धान्त राज्य की आवश्यकता तथा प्रकृति का सिद्धान्त है।

हाब्स और लॉक की तरह रूसो भी समाज और राज्य की उत्पत्ति के सम्बंध में सामाजिक समझौता सिद्धान्त का समर्थक है। रूसो हाब्स और लॉक की तरह व्यक्तिवाद और प्राकृतिक अधिकारों का समर्थन करना मात्र नहीं था, वह समाज के नैतिक पतन के प्रति अत्यधिक चिन्तित था, और चाहता था कि उस अभिशाप से मुक्त होकर मनुष्य का जीवन पुनः नैतिक दृष्टि से उच्च हो जाए। अतः वह समाज और राज्य की आदर्शवादी दृष्टिकोण से विवेचना करता है, और इसी आधार पर मानव स्वभाव और प्राकृतिक अवस्था का वर्णन करता है। रूसो ने अपनी पुस्तक ("The Social Contract", 1762) में अपने समझौता सिद्धान्त का विस्तार से प्रतिपादन किया है। अपने प्रसिद्ध ग्रंथ "Social Contract" की रचना करते समय रूसो पर हाब्स और लॉक के विचारों का गहरा प्रभाव पड़ा, साथ ही साथ वह ग्रंथ की तत्कालिक परिस्थितियों से भी खासे प्रभावित हुआ।

रूसो का सामाजिक समझौता :— रूसो के समझौता सम्बंधी विचारों को अग्र शीर्षकों में समझा जा सकता है —

1. मानव स्वभाव :- रूसो का विश्वास है कि मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है। उसके अनुसार मनुष्य के स्वभाव का निर्माण दो मौलिक प्रवृत्तियों से होता है। ये प्रवृत्तियाँ हैं : आत्मप्रेम (Self Love) एवं सहानुभूति (Sympathy)। आत्मप्रेम है आत्म-प्रतिरक्षण (Self-Preservation) की भावना एवं सहानुभूति है परस्पर सहयोग की भावना। चूँकि ये प्रवृत्तियाँ अधिक लाभदायक और कम हानि कारक होती हैं, अतः मनुष्य प्रकृति से अच्छा होता है। कभी-कभी मनुष्य की इन दोनों प्रवृत्तियों में संघर्ष होता है। आत्मप्रेम मनुष्य को स्वार्थ की ओर तथा सहानुभूति परमार्थ की ओर प्रेरित करते हैं। ऐसी स्थिति में मनुष्य के लिए यह जानना कठिन हो जाता है कि वह किसका अनुसरण करे। ऐसे संघर्ष की स्थिति में एक तीसरी भावना का जन्म होता है, जिसे रूसो अन्तःकरण (Conscience) कहता है। अन्तःकरण बुद्धि की उपज नहीं है, क्योंकि बुद्धि का प्रादुर्भाव अन्तःकरण के जन्म के बाद होता है। यह शिक्षा की भी उपज नहीं है, क्योंकि शिक्षा का आधार अच्छा और बुरा का ज्ञान है, और इस ज्ञान की प्रादुर्भाव भी बुद्धि के प्रादुर्भाव के बाद ही होता है। इस प्रकार अन्तःकरण बुद्धि और शिक्षा दोनों से प्राचीन है। अन्तःकरण का उद्देश्य मनुष्य का कल्याण है। अन्तःकरण एक अंधी भावना है। इसमें सत्य और असत्य, उचित और अनुचित का निर्णय करने की क्षमता नहीं होती है, हालांकि यह मनुष्य को सत्य और उचित कार्यों की ओर मनुष्य को प्रेरित करता है, परंतु यह स्वयं इस बात का निर्णय नहीं करता कि सत्य और उचित क्या है। "प्राकृतिक मनुष्य" वह है जो अपने सजग अंतःकरण एवं प्रबुद्ध विवेक द्वारा अपने आत्म प्रेम और सहानुभूति में सामंजस्य स्थापित करता है। इसी अर्थ में

रूसो ने कहा है कि मनुष्य स्वभावतः अच्छा होता है।

2. प्राकृतिक अवस्था :- रूसो की प्राकृतिक अवस्था न तो हॉब्स के समान अराजकता और युद्ध की अवस्था है, न लॉक के समान सद्भावना, सौहार्द एवं पारस्परिक सहयोग की अवस्था है। वह न तो हॉब्स के समान प्राकृतिक अवस्था को दुर्गुणपूर्ण मानता है, और न लॉक के समान सद्गुणपूर्ण है। रूसो ने अपनी पुस्तक "Discourse on the Origin of Inequality" में जिस काल्पनिक प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है, वह न तो पापमय है, न पुण्यमय। उसके अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य पशुतुल्य, एकाकी, निष्पाप एवं निर्दोष होता है। चूँकि भाषा के बिना विचार असंभव है, इसलिए प्राकृतिक मनुष्य न तो नैतिक होता है, और न ही अनैतिक, न अच्छा होता है न बुरा, न सुखी होता है न दुःखी। प्राकृतिक अवस्था में परिवार भी नहीं होता है। मनुष्य अकेले घूमता फिरता रहता है। चलते-फिरते पुरुष और नारी अपनी काम वासना की तृप्ति कर लेते हैं। प्राकृतिक अवस्था के व्यक्ति के लिए रूसो "आदर्श बर्बर (Noble Savage) शब्द का प्रयोग करता है। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति एक भोले और अज्ञानी बालक की भाँति सादगी और परमसुख का जीवन व्यतीत करता है।

3. सामाजिक समझौता :- रूसो के सामाजिक समझौते के सिद्धान्त का उद्देश्य इस बात पर प्रकाश डालना नहीं है कि भूतकाल में प्रथम राज्य की स्थापना किस प्रकार हुई। उसके सामाजिक समझौते का उद्देश्य तो एक ऐसे आदर्श समाज का निर्माण करना है जहाँ राज्य की सत्ता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता में समन्वय स्थापित हो सके और जहाँ मानव जाति अपने कष्टों से त्राण पा सके। उसके समक्ष समस्या यह है कि उसे इस प्रकार के समुदाय का निर्माण करना है, जो अपनी सामूहिक शक्ति से प्रत्येक सदस्य के जीवन और धन की रक्षा कर सके, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के साथ मिलकर रहते हुए भी केवल अपने आदेश का पालन कर सके और पहले की तरह स्वतंत्र भी रह सके। रूसो की यह समस्या राजनीतिक दर्शन की मूलभूत समस्या है, यह व्यक्ति तथा राज्य के सम्बंध की समस्या है; यह स्वतंत्रता तथा सत्ता में सामंजस्य स्थापित करने की समस्या है। यह उस तत्व को खोजने की समस्या है जिसके कारण राज्य को औचित्य प्रमाणित होता है, एवं उसकी आज्ञा का पालन करना एक कर्तव्य बन जाता है। रूसो इस समस्या का समाधान सामाजिक समझौते के सिद्धान्त द्वारा करता है।

4. समझौते की आवश्यकता :- सामाजिक समझौता क्यों होता है? किन कारणों से यह समझौता होता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? प्रत्येक समझौतावादी विचारक ने समझौते का अलग-अलग कारण बताया है। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था की अराजकता एवं असुरक्षित स्थिति से त्राण पाने के लिए लोग परस्पर समझौता करते हैं। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में प्रचलित प्राकृतिक नियमों की अस्पष्टता को दूर करने के लिए, उनकी निश्चित व्याख्या के लिए एवं उन्हें प्रभावकारी रूप से लागू करने के लिए समझौता किया जाता है। रूसो के अनुसार वैयक्तिक संपत्ति से उत्पन्न सामाजिक विषमता एवं अन्य बुराइयों के उन्मूलन के लिए मानव जाति को विनष्ट होने से बचाने के लिए

Scanned with CamScanner

एवं एक आदर्श राज्य की स्थापना के लिए समझौता किया जाता है।

5. समझौते का स्वरूप :— रूसो के अनुसार सामाजिक समझौता द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों सहित अपने को सम्पूर्ण समाज के समक्ष अर्पित कर देता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का किसी व्यक्ति विशेष को अर्पित न कर समस्त समाज को अर्पित करता है। यह समझौता व्यक्तियों में परस्पर होता है। यह समझौता लोगों के निजि स्वरूप और सामूहिक स्वरूप के मध्य हुआ। A, B, C, D ने आदि ने अपने अधिकारों को A+B+C+D के सामूहिक स्वरूप को सौंप दिया।

इस समझौते के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से अपनी सम्पूर्ण स्वतंत्रता, अधिकार और शक्ति समाज को सौंप देता है, और समझौते के फलस्वरूप निर्मित समाज के अविभाज्य अंग होने के नाते सामूहिक रूप से उसे पुनः प्राप्त कर लेता है। रूसो के अनुसार मनुष्य अपनी प्राकृतिक अवस्था को समाप्त करने के लिए जो समझौता करते हैं वह दो पक्षों के बीच होता है — एक पक्ष उनके व्यक्तिगत जीवन का और दूसरा पक्ष उनके सामूहिक जीवन का। अतः वे व्यक्तिगत रूप से जो कुछ गँवाते हैं उसे समझौते के फलस्वरूप सामूहिक रूप से पुनः प्राप्त कर लेते हैं।

रूसो के अनुसार समझौते के फलस्वरूप जिस समाज का निर्माण होता है वह पूर्णतः एकताबद्ध, सर्वोच्च और नैतिक होता है। सामाजिक समझौते द्वारा निर्मित राज्य को "सामान्य इच्छा" (General Will) कहा जाता है। समस्त व्यक्तियों से निर्मित यह नैतिक निकाय जब निष्क्रिय रहता है तो राज्य (State) कहलाता है, जब सक्रिय होता है तो संप्रभु कहलाता है, एवं जब इसकी तुलना इसी के सदृश्य अन्य निकाय से की जाती है तो शक्ति कहलाता है।

इस समझौते के फलस्वरूप मनुष्य के स्वभाव में महान परिवर्तन होता है। नागरिक समाज में व्यक्ति न्याय द्वारा निर्देशित होता है। इसके परिणामस्वरूप उसमें नैतिकता का संचार होता है। तृष्णा के स्थान पर अधिकार पद का, इच्छा के स्थान पर विवेक का और स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ का उदय होता है।

6. समझौते की विशेषताएँ :— उपर्युक्त विवरण से रूसो के सामाजिक समझौते की विशेषताएँ स्पष्ट हो जाती हैं। प्रथम, समझौते के द्वारा प्रत्येक सदस्य अपने समस्त अधिकारों और शक्तियों को सम्पूर्ण समाज के समक्ष समर्पित कर देता है। अतः इस समझौते द्वारा उत्पन्न समाज कभी भी दमनकारी और स्वतंत्रता विरोधी नहीं हो सकता है।

(ii) समझौते के फलस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति अपने सम्पूर्ण अधिकार किसी व्यक्ति विशेष को नहीं वरन् सम्पूर्ण समाज को समर्पित करता है। अतः इस समझौते से प्रत्येक को लाभ होता है।

(iii) सामाजिक समझौता द्वारा मनुष्य अपनी प्राकृतिक स्वतंत्रता को खोकर नागरिक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। रूसो के समाज में किसी भी व्यक्ति को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है। सबका स्थान समान है।

(iv) जो अधिकार विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत हैं उन्हें व्यक्ति समाज को समर्पित नहीं

Scanned with CamScanner

करता है। लेकिन व्यक्तिगत अधिकार कौन से हैं, इनके बारे में निर्णय समाज के द्वारा ही किया जाता है।

(v) इस समझौते के द्वारा व्यक्ति कुछ भी नहीं खोता, वह व्यक्तिगत रूप से जो स्वतंत्रता या अधिकार समाज को सौंपता है वह उसे समाज का अभिन्न अंग होने के नाते पुनः प्राप्त कर लेता है।

(vi) इस समझौते के द्वारा व्यक्ति अपनी शक्तियों को किसी अनुत्तरदायी संप्रभु को नहीं बल्कि सम्पूर्ण समाज को समर्पित करता है, जिसकी क्रियाओं के ऊपर समाज के समस्त सदस्यों को समान अधिकार प्राप्त होता है।

(vii) रूसो के सामाजिक संविदा के फलस्वरूप उत्पन्न होनेवाले समाज का स्वरूप सावयवी होता है, हाब्स तथा लॉक के धारणा के समाज के सदृश व्यक्तिवादी नहीं।

(viii) रूसो का समझौता कोई ऐसी घटना नहीं है जो कभी एक बार घटी हो, यह तो निरंतर चलने वाला क्रम है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति सामान्य इच्छा में निरंतर भाग लेता रहता है।

समझौता सिद्धान्त का मूल्यांकन - रूसो के सामाजिक समझौते की कटु आलोचनाएँ की गयी हैं। ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर उसकी आलोचना निम्नलिखित है -

प्रथम, प्राकृतिक अवस्था के विषय में आलोचकों का मत है कि यह अवस्था काल्पनिक है। इतिहास में इस तरह की अवस्था का कहीं कोई उदाहरण नहीं मिलता।

~~द्वितीय~~, द्वितीय, प्राकृतिक अवस्था से एकाएक राजनीतिक अवस्था में आना मनुष्यों के लिए संभव नहीं है। प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले जंगली मनुष्यों में अचानक इतनी बुद्धि नहीं आ सकती कि वे समझौते द्वारा राज्य का ~~निर्मा~~ निर्माण करें।

तृतीय, रूसो के अनुसार यह समझौता व्यक्ति और समाज के बीच होता है और दूसरी ओर रूसो यह बताता है कि समाज समझौते का परिणाम है। यह एक विरोधाभास है। जो समझौते की धारणा को असंगत बनाता है।

चतुर्थ, रूसो के अनुसार समाज और राज्य का जन्म समझौता से होता है, जबकि आधुनिक युग में यह सिद्ध किया जा चुका है कि राज्य का किसी समय विशेष में जन्म नहीं हुआ है, वरन् उसका शनैः शनैः विकास हुआ है।

पंचम, रूसो सामाजिक प्रगति के सिद्धान्त का विरोध करता है। उसका कहना है कि जैसे-जैसे समाज प्राकृतिक जीवन से दूर हुआ है वैसे-वैसे उसका पतन हुआ है। लेकिन यह बात तथ्यपूर्ण नहीं है। मानव जाति का आज तक का इतिहास उसकी प्रगति का इतिहास रहा है। कोई भी समझौता होता है तो वह कभी न कभी टूटता है, लेकिन रूसो का ऐसा समझौता है जो कभी टूटा ही नहीं।

इन त्रुटियों के बावजूद उसके सिद्धान्त के कुछ महत्व हैं। प्रथम, इस सिद्धान्त के द्वारा रूसो ने दैवी अधिकार के सिद्धान्त और दास प्रथा पर कटु प्रहार कर उन्हें समाप्त करने में पूर्ण योगदान दिया है। द्वितीय, इस सिद्धान्त ने राज्य को मानवीय संस्था बताकर निरंकुश शासन का विरोध किया है और प्रजातांत्रिक शासन पद्धति के विकास में सहायक सिद्ध हुआ है। तृतीय, इस सिद्धान्त ने यह इस बात पर जोर दिया है कि शासन का आधार जन स्वीकृति है, शासन जनता से अपनी सत्ता प्राप्त करता है, एवं जनता के प्रति उत्तरदायी होता है।